



राजस्थान सरकार  
निदेशालय, महिला अधिकारिता  
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक:-प.1(1)( )/निमअ/स्था/अच.सम./2021/

जयपुर, दिनांक:-

उप निदेशक/सहायक निदेशक  
महिला अधिकारिता  
समस्त

विषय:-समस्त राज्य सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन IPR भरने के संबंध में।

संदर्भ:-कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 26.04.2022 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.12.2021 के द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राज्य सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2021 (1 जनवरी 2022 की स्थिति में) अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरा जाना था। कार्मिक विभाग द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु समयवधि इस वर्ष 31 मई 2022 तक अंतिम बार बढ़ाई गई है। परिपत्र की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(डॉ. आभा जैन)

NOI- 18603-605

DT- 9-5-2022

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
2. निदेशालय महिला अधिकारिता के समस्त अधिकारी/कर्मचारी, मुख्यालय।
3. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
4. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011

जयपुर, दिनांक 26 APR 2022

—:परिपत्र:—

विषय:— समस्त राज्य सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाइन IPR भरने के सम्बन्ध में।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.12.2021 के द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राज्य सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2021 (1 जनवरी 2022 की स्थिति में) अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरा जाना था। अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु समयावधि इस वर्ष 31 मई 2022 तक अंतिम बार बढ़ाई जाती है एवं जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा IPR भरते समय सहवन से गलत प्रविष्टियां अंकित कर दी गई थी, वे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों इस अवधि में ऑन-लाइन संशोधित IPR भर सकेंगे।

(डॉ.रविन्द्र गोस्वामी)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
9. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।

संयुक्त शासन सचिव